



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2015/ज्येष्ठ 20, 1937

No. 1189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2015 /JYAISTHA 20, 1937

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

**का.आ.1515(अ).**- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## सारणी

(1)	(2)	(3)
"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 {रूद्रप्रयाग बाइपास सहित (किमी 218.000 से किमी 368.000)}, सं. 72ए, सं. 73, सं. 74 {किमी 175.000 से किमी 264.000 (काशीपुर - सितारगंज - बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 {रामपुर से काठगोदाम खंड के किमी 43.30 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) से किमी 88.00 (काठगोदाम) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 विस्तार {सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) को छोड़कर} सं. 94 [किमी 123 से किमी 218 (धरासू से कुठनौर निकट यमनोत्री)], सं.109 (रूद्रप्रयाग-गौरीकुंड), सं 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 {किमी 0.000 से किमी 52.200 (सितारगंज-टनकपुर खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं.9 (पिथौरागढ़-ओगला-अस्फोट खंड), नई रारा सं 107ए, नई रारा सं. 309ए, नई रारा सं. 309बी, नई रारा सं. 334ए और नई रारा सं. 707ए के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तराखंड राज्य सरकार "।

[फा.सं. एनएच-14013/1/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड वी)

**टिप्पणः** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार सं. का.आ.-1037 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2015

**S.O. 1515(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

**TABLE**

23	So much of National Highways No. 58 {(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass}, No. 72A, No. 73, No. 74 {excluding from Km.175.000 to Km.264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)}, No. 87 {excluding Rampur to Kathgodam section from km. 43.30 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border) to km. 88.00 (Kathgodam)}, No. 87 Extn {excluding from Simli to Karna Prayag (7.00 kms)}, No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 109 (Rudraprayag-Gaurikund), No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 {excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)}, <b>new NH No. 9 (Pithoragarh-Ogla-Askot section)</b> , new NH No. 107A, new NH No. 309A, <b>new NH No. 309B</b> , new NH No. 334A <b>and new NH No. 707A</b> as are situated within the State of Uttrakhand.	State Government of Uttrakhand.”
----	---	----------------------------------

[F. No. NH-14013/1/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Note:** -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1037 (E), dated the 17th April, 2015.